11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018 (2) Directorate of Defence Estates, Central Lucknow Cantt letter No.57845/Sy.No.322-416/DNR/LC-1 dated 29.03.2019

भी संगतगत् किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अन्तरिम दिशानिर्देश नीति पत्र संठ 016/D(Lands) दिनांक 10 मार्च 2017 द्वारा इस्तगत पट्टे स्थान को निरंतरता की जाए। साथ ही साथ प्राधान नियम 1925 और 1937 तथा छावनी पट्टा कोड 1899 और 1912 पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया को जाए। It is intimated to the Board that Government of India, Ministry of Defence has under guidelines vide policy letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 to regularise section of lease held sites as well as to expedite the process of renewal of Cantonment Land under Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 &1912 lease.

सर्वे सं0 322-416 (मकान सं0 20, महाल सं0 1, वार्ड सं0 04) दानापुर छावनी को इस पत्रांक सं0 No.CBD/Sy.No.416/949 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा इसके नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव श्वा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को भेजा गया था। Accordingly a proposal for renewal In respect of Survey No.322-416 (Holding No.20, M.No.1, W.No.4), Danapur Cantonment warded to the Directorate of Defence Estates, Central Command, Lucknow Cantt vide this burn No.CBD/Sy.No.416/949 dated 28.12.2018.

जानों का संक्षिप्त निम्नानुसार प्रस्तुत हैं∕ The brief of the case is furnished as under:

मा खान जो सिविल एरिया में स्थित है, सदर बाजार, एक पट्टा नापित क्षेत्र 324 sqft. सर्वे संठ 322-416 समिलित करते हुए, मकान संठ 20, महाल संठ 01, वार्ड संठ 04 की पट्टा शुरूआत दिनांक 01 नवम्बर को बालगोविन्द लाल दुकान के लिए सूचि VI of CLAR 1925. 30 साल की अयधि के लिए दिनांक मतम्बर 1926 के प्रमाव से आवासीय उद्देश्य हेतु प्रति वर्ष 2/9/6 के भुगतान पर किया गया था। उक्त त स्थल दानापुर छावनी परिषद के प्रबंधाधीन है। A site located in civil area, Sadar Bazar, dimeasuring an area 324sqft comprising Survey No.322-416 bearing Holding No.20, was leased at initially on 01.11.1926 to Balgobind Lall in Schedule VI of CLAR 1925 for a term of 30 ars w.e.f. 01.11.1926 for residential purpose at the lease rent of Rs.2/9/6 per annum, situated in mutified civil area under the management of Cantonment Board, Danapur Cantt.

(1)) अनुसूची IV के अनुसार, 31.10.1956 को लीज के पहले कार्यकाल की समाप्ति पर, श्री ट्वारका प्रसाद S / o स्वर्गीय श्री (1) गोविंद लाल के नाम पर अनुसूची IV 1937 के तहत दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था। (1,11.1956 से 31.10.1986 तक एनएच के रु। 88.89 के बढे हुए लीज रेंट के भुगतान पर। प्रति वर्ष मुख्यालय ईसी (गएल एंड सी), लखनऊ कैंट पत्र संख्या १-९ LC१-एलसी २ दिनांक २ and.०६.१ ९ ६१ को मंजूरी दी गई और उप-रजिस्टर हानपुर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया। नंबर २ ९, पृष्ठ ४११ से ४१४, नंबर ५०१तted दिनांक २१.० ९.१ ९ ६१। पट्टे का दारा कार्यकाल 31.10.1986 को इस कार्यालय को उपलब्ध नवीनीकरण विलेख के अनुसार समाप्त हो गया है, हालांकि इस तबर्थ में तारीख तक जीएलआर अद्यतन नहीं किया गया है 1 On expiry of the first term of lease on

REFERCE

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4 2019

31.10.1956, as per Schedule IV, the lease was renewed under Schedule IV 1937 in the name of Shri Dwarka Parsad S/o Late Shri Bal Govind Lal for second term w.e.f. 01.11.1956 to 31.10.1986 on payment of enhanced lease rent of Rs.3.89 N.P. per annum sanctioned vide HO EC (ML&C), Lucknow Cantt letter No.17981-LC2 dated 27.06.1961 and registered in the office of Sub-Register Dinapore vide Book No.1, Vol. No.29, Pages 411 to 414, Being No.5017 dated 21.09.1961. The second term of lease has expired on 31.10.1986 as per renewal deed available to this office however the GLR is not updated till the date in this respect.

(iii) तीसरी और अंतिम पट्टा अवधि पूर्णतः दिनांक 31 जुलाई 2018 समाप्त हो गई। The third & last term of the lease has been fully expired on 31.10.2016.

5. निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी पूर्ववत् तीसरी/अंतिम नवीनीकरण पट्टा ढीड दिला 08 दिसम्बर 1928 30 वर्ष की अवधि दिनांक 01 नवम्बर 1956 से 31 अक्टूबर 1986तक वार्षिक भुगतान रू० 61 पर पत्रांक सं0 No. 57845/Sy.No.322-416/DNR/LC-1 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा स्वीकृत किये हैं(अंगि पट्टा रेन्ट शर्त III के अनुसार 50 फिसदी वार्षिक बढ़ोतरी के बाद/The Directorate of Defence Estai Central Command, Lucknow Cantt vide their letter No.57845/Sy.No.322-416/DNR/LC-1 date 29.03.2019 has accorded ex-post-facto sanction for 3^{rd} /final term renewal of the lease deed date 01.11.1926 for 30 years w.e.f: 01.11.1986 to 31.10.2016 on payment of annual rent of Rs.5.84 (Attenhancing 50% in last lease rent as per condition III of lease deed per annum).

6. जूँकि पट्टा पूर्णतः 31 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गई, यह पट्ट नीति मे वर्णित नियम व शर्तों के अनु विस्तृत किया जा सकता है संदर्भाधीन। इस विषय में आवेदन दिनांक 14 मार्च 2019 को श्री नरेश प्रसाद, ल प्रसाद, विजय कुमार, प्रदीप कुमार और सरवन कुमार द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। Since the lease w fully expired on 31.10.2016, it may be extended as per terms & conditions laid down in the lease policy dated 10.03.2017 under reference. An application dated 14.03.2019 received in this respect for Shri Naresh Prasad, Lakshmi Prasad, Vijay Kumar, Pradeep Kumar and Sarwan Kumar to this off requesting to renew the lease and extension of the lease after expiry of full term.

उपर्युक्त पट्टे स्थिति तथ्यों को देखते हुए. बोर्ड नये पट्टा नीति दिनांक 10 मार्च 2017 के नियम एवं शत अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को पूर्णतः समाप्त अवधि की विस्तार हेतु विचार कर सकती है और तवन तय करें। In view of the fact of the case stated above and lease conditions, the Board may consider matter of extension of lease after expiry of full term upto 31.12.2019 as per terms and conditions down in new lease policy dated 10.03.2017 and decide accordingly.

बोर्ड के विचार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

All relevant documents are placed on the table.

40 | Page

Hrahsel, IDES) (I alr Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/ 2019 THON: The Board has agreed that extension of lease may be given accordingly as per the interim policy of Govt. of India vide MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 10.03.2017 and MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 31.12.2018 for extension till 31.12.2019. However, before effecting extension and collection/acceptance of occupation charge as per the policy, legal opinion may be obtained from the legal advisor as to whether the same can be effected and occupation charge collected in the name of applicants/current occupier.

(Lalfinpuil Hrahsel, IDES) Member Scoretary Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment 2019 Dated

A DESIGN

EXTENSION OF LEASE AFTER EXPIRY OF FULL TERM IN RESPECT OF SURVEY NO.322-65 ATTACHED TO HOUSE NO.21/22, MAHAL NO.4, WARD NO.1, SADAR BAZAR, DANAPUR CANTONMENT

(1) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र संo 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10 मार्च 2017 मुख्य विस्तार दिनांक 31 दिसम्बर 2019 पत्रांक 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 31 दिसम्बर 2018 निवेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी पत्रांक संo 57841/Sy.No.294/DNR दिनांक 29 Frence (1) Government of India, Ministry of Defence policy letter No.11013/2/2016/D(Lands) 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.2019 vide letter 10/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018 (2) Directorate of Defence Estates, Central Command, w Cantt letter No.57838/Sy.No.322-65/DNR dated 29.03.2019

को को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नीतिगत पत्र संख्या 11013/2/2016 / D (भूमि) दिनांक जान को अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 और 1937 के नवीकरण की प्रक्रिया और 1899 प्रदे के छावनी कोड पट्टे I It is intimated to the Board that Government of India, Ministry of has issued interim guidelines vide policy letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017

(Lalrinpuii Hrahsel/ IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment 2019 Dated

to regularise the occupation of lease held sites as well as to expedite the process of renewal Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 & 1 hease

भावताक्रम सर्व संत 322-65(मतान संत 21/22, महाल संत 4, वार्ड संत 01) दानापुर छावनी को इस का म प्रतान संत No.CBD/Sy.No.322-65/948 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा इसके नवीनीकरण हेतु म निवसालय, राग सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को भेजा गया था। Accordingly a proposal for ren of lease in respect of Survey No.322-65 attached to House No.21/22, M.No.4, W.No.1), Dan Cantonnent was forwarded to the Directorate of Defence Estates, Central Command, Lucknow C vide this office letter No.CBD/Sy.No.322-65/948 dated 28.12.2018.

a four on thous जिल्लानुसार प्रस्तुत है The brief of the case is furnished as under:

(i) खान जो सिविल एरिया में स्थित है, सदर बाजार, एक पट्टा नापित क्षेत्र 340% sqft. सर्वे सं0 32 तो समिलित करते हुए, मकान सं0 21/22, महाल सं0 04, वार्ड सं0 01 की पट्टा शुरूआत दिमा जनवरी 1927 को बैजनाथ, पिता बी. मणी राम को सूचि VI of CLAR 1925. 30 साल की अवधि त विनाल 01 जनवरी 1927 के प्रमाव से प्रति वर्ष 5/8/0 के भुगतान पर किया गया था। उक्त सूची IV नतीनीकरण डीड के अनुसार दूसरी अवधि 01 जनवरी 1957 के प्रमाव से 30 वर्षों के लिए उप–रणि वानापुर के मंजुरी पत्रांक सं0 18964-LC2 दिनांक 29.08.1969 रू0 08.25 वार्षिक परन्तु यह जी.एक.अ इंगित नहीं है। A site located in civil area, Sadar Bazar, admeasuring a leased out area 340% for the purpose of dwelling house attached to House No.21/22, Mahal No.4, Ward w comprising Survey No.322-65, was given on lease on 30.01.1927 to Baijnath S/o B. Mani in Schedule VI of CLA Rules 1925 for a term of 30 years w.e.f. 01.01.1927/on payment of rent of Rs.5/8/0 P.A. As per renewal deed under Schedule IV 1937 the said lease property renewed for the second term w.e.f. 01.01.1957 for 30 years registered with Sub-Regi Danapur duly sanctioned vide HQ EC letter No.18964-LC2 dated 29.08.1969 @ Rs.8.25 N.P amum. But the same has not been reflected in the GLR.

(ii) जी.एल.आर. के अनुसार, सर्वे संo 322-65 जो, 1739 sqft है जिसमें से शेष 340% पुराना ग्रांट 1 (ii) 21/22, महाल सo 04, वार्ड संo 01 का भाग, बी-3 वर्गीकृत जो दानापुर छावनी परिषद् प्रबंधानी पहा रेन्ट रूठ 1.37 अंकित है केन्द्र सरकार को और रूठ 4.16 वार्षिकी छावनी परिषद् को है। As per G (Unsigned Entry), the HOR/Lessee of the property belongs to Baijnath Agrawal. Total are Nurvey No.322-65 is recorded 1739 sqft. out of which an area 340% sqft is leased out remaining area cover Old Grant part of House No.21/22, Mahal No.4, Ward No.1, classifie II 3 under the management of C.B. The lease rent is recorded as Rs.1.37 per annum to Cer Govt and Rs.4.16 per annum to Cantonment Board.

 निवेशालय, रक्षा शामया, मध्य कमान, लखनऊ छावनी पूर्ववत् तीसरी/अंतिम नवीनीकरण पट्टा डीड वि 30 जनवरी 1927 30 वर्ष की अवधि दिनांक 01 जनवरी 1987 से 31 दिसम्बर 1987 तक वार्षिक भुगतान रू

42 | Page

IDES)

(Calribpuil Hrahsel) IDES Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04, 2019

(Briz. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 36/4/2019 to No. 57838/Sy.No.322-65/DNR दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा स्वीकृत किये हैं (अंतिम पट्टा ज अनुसार 50 फिसदी वार्षिक बढ़ोतरी के बाद) The Directorate of Defence Estates, Central Lucknow Cantt vide their letter No.57838/Sy.No.322-65/DNR dated 29.03.2019 has post-facto sanction for 3rd/final term renewal of the lease deed dated 30.01.1927 for 30 (101.01.1987 to 31.12.2016 on payment of annual rent of Rs.12.38. (After enhancing 50% in out as per condition III of lease deed per annum).

पूर्णत: 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो गई, यह पट्ट नीति मे वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार जा सकता है संदर्भाधीन। इस विषय में आवेदन दिनांक 20 मई 2017 को श्री बिमल किशोर गरा इस कार्यालय को पट्टा नवीकरण और विस्तार हेतु अनुसोध प्राप्त हुआ। Since the lease was on 31.12.2016, it may be extended as per terms & conditions laid down in the lease 10.03.2017 under reference. An application dated nil received from Shri Bimal Kishore at to this office on 20.05.2017 requesting to renew the lease and extension of the lease after and to this office on 20.05.2017 requesting to renew the lease and extension of the lease after and term.

प्रधान पट्टे स्थिति तथ्यों को देखते हुए, बोर्ड नये पट्टा नीति दिनांक 10 मार्च 2017 के नियम एवं शर्त के जिनाज 31 दिसम्बर 2019 को पूर्णतः समाप्त अवधि की विस्तार हेतु विचार कर संकती है और तदनुरूप In view of the fact of the case stated above and lease conditions, the Board may consider the extension of lease after expiry of full term upto 31.12.2019 as per terms and conditions laid new lease policy dated 10.03.2017 and decide accordingly.

तिनार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं। Intervent documents are placed on the table.

TSOLUTION: The Board has agreed that extension of lease may be given accordingly as vide MoD letter No. Govt. of India per the interim policy of No. letter MoD 10 03 2017 and 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 31.12.2019. extension till 31.12.2018 for 11013/2/2016/D(Lands) dtd. However, before effecting extension and collection/acceptance of occupation charge as per the policy, legal opinion may be obtained from the legal advisor as to whether the same can be effected and occupation charge collected in the name of applicants/current occupier.

saleage

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/2019

कार्यसूची संब- 82 AGENDA NO. 82 Subject:

RENEWAL/EXTENSION/DETERMINATION OF LEASE IN RESU OF SURVEY NO.322-1062, SADAR BAZAR, DANAPUR CANTONNI

भारत सरकार का संदर्भ, रक्षा मंत्रालय ने No.11013 / 2/2016 / D (भूमि) दिनांक 10.03.2017 के लि तीन सीवियोगाफी पत्र परिपालित किया और 31.12.2019 तक लागू प्रयोज्यता पत्र No.11013 / 2/2016 (भूमि) दिनांक 31.12.2018 Reference Government of India, Ministry of Defence circulated a vide letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended 11.12.2019 vide letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018

2. यह बोर्ड को सूपित किया जाता है कि आरत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नीतिगत पत्र संख्या 11013/2/2016 / D (अमि) 10.01.2017 को अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 और 1937 के नवीकरण की प्रक्रिया और 117 1912 पढ़टे के छावनी कोड पढ़ें। It is intimated to the Board that Government of India, Minist Defence has issued interim guidelines vide policy letter No. 11.013/2/2016/D(Lands) dated 10.03. to regularise the occupation of lease held sites as well as to expedite the process of renewal Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 & 1 lease.

) मामले की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार दी गई है:The brief of the case is furnished as under:

GLR के अनुसार, शुरू में सर्वे नंबर .22-1062 से युक्त 1600 वर्गफुट के पट्टे को 90 वर्ष की अवधि के लिए प आदि के लिए Deoki Lall (AS PER LEASE INDENDURE DTI 01.07.1926) को दिया गया था। • 01.•१.९ ९ २ वर्ष २५.११.६ रुपये के लीज रेंट के भुगतान पर और उसके बाद &3 साल की अवधि के लिए गुरु प्रसाद लाल के पक्ष में प के नियाण के लिए क्षेत्र constructly वर्ग फीट और भुगतान पर wef01.1.1933 इस कार्यालय को उपलब्ध लीज इंडेंट्य आगता परगववी देवी डब्ल्यू / ओ श्री गुरु प्रसाद लाल द्वारा बिक्री के माध्यम से लीज की संपत्ति श्रीमति जयपति देव बागता परगववी देवी डब्ल्यू / ओ श्री गुरु प्रसाद लाल द्वारा बिक्री के माध्यम से लीज की संपत्ति श्रीमति जयपति देव विस्तातीरत का दी गई। जीएलआर के अनुसार, क्षेत्र Hd.Qr.EC No.40570-LCI दिनांक 13.03.1952 को 1284sa 1641401 की बियोगाफी तक सही किया गया As per GLR, initially the lease measuring 1600 sqft compri Survey No.322-1062 was granted to Deoki Lall (AS PER LEASE INDENDURE DT. 01.07.1926)

44 | Page

(Lafrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 26.04 2019 (Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4 2019 the period of 90 years w.e.f. 01.07.1926 on the payment of lease rent of Rs.25-11-6 per thereafter the area 84sqft for constructing of steps in favour of Guru Prasad Lall for the thereafter the area 84sqft for constructing of steps in favour of Guru Prasad Lall for the thereafter the area 84sqft for constructing of steps in favour of Guru Prasad Lall for the thereafter the area 84sqft for constructing of steps in favour of Guru Prasad Lall for the steps & 6 months w.e.f.01.01.1933 on the payment of lease rent of Rupees one annas six mum in Schedule VI CLAR 1925 as per Lease Indenture available to this office. In the lease property was transferred to Shrimati Jaypati Debi through Sale by Shrimati Debi W/o Shri Guru Prasad Lal registered on 14.07.1949. As per GLR, the area corrected the to 1684sqft vide Hd.Qr.EC No.40570-LC1 dated 13.03.1952

ाद तीज ने अपना पहला कार्यकाल 30.06.1956 को समाप्त कर दिया। इस बीच दूसरे कार्यकाल के लिए तिया गया। 01.07.1956 से 30.06.1986 तक लीज स्वीकृत EC3 (ML & C), लखनऊ कैंट के पत्र LC2 दिनांक 10.07.1962 की वार्षिक लीज पर रु .8.58 के बढ़े हुए लीज रेंट के भुगतान पर और उप-रापर के कार्यालय में पंजीकृत किताब नंबर 1, वॉल्यूम। No.24, पृष्ठ 164 से 166, No.3463 दिनांक ती भी नाथ साहू S / o श्रीमती जयपति देवी के नाम पर। Thereafter the lease has expired its first 10.06.1956. Meanwhile the lease was renewed for second term w.e.f. 01.07.1956 to no payment of enhanced lease rent of Rs.38.58 per annum sanctioned vide HQ EC Lucknow Cantt letter No.18964-LC2 dated 10.07.1962 and registered in the office of Sub-Dinapore vide Book No.1, Vol. No.24, Pages 164 to 166, Being No.3463 dated 18.08.1962 in of Sri Sheo Nath Sahu S/o Shrimati Jaypati Devi.

ागरे और अंतिम कार्यकाल के लिए नवीनीकरण के मामले को संसाधित करते समय, यह देखा गया है कि पट्टा 10.06.2016 को समाप्त हो गया है। While processing the case of renewal of lease for the third & It is noticed that the lease has fully expired on 30.06.2016.

मार्क 22.05.2017 को इस कार्यालय को प्राप्त निल दिनांक एक आवेदन श्रीमती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ति इब्लू / ओ श्यो नाथ साहू द्वारा स्व। एल.टी.आई. बयान (वंशावली) में कहा गया है कि उक्त संपति उसके पानी श्रीमती। सुशीला साहू पट्टेदार की पत्नी हैं। इस बीच आवेदक, श्रीमती। सुशीला साहू डब्ल्यू / ओ शेओ नाथ पाना इसके बाद एक आवेदन दिनांक 03.01.2019 को स्नेह लता से शपथ पत्र और नोटरी उत्तराधिकार प्रमाण पापल हुआ, जो खुद को स्वर्गीय श्रीमती की एकमात्र बेटी होने का दावा करता है। सुशीला साहू डब्ल् / ओ स्वर्गीय पाहू दिनांकित नील को इस कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय के प्राप्त किया जाता है जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय के प्राप्त किया जाता है जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित नील को इस कार्यालय के प्राप्त किया जाता है जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता कृशिद्वांकित जील की इस कार्यालय के प्राप्त किया जाता है जो पह के को तवीनीकृत करने का अनुरोध करता का प्रकाल प्रिक्त कि कि क्रि क्र कार्यालय के प्राप्त किया जाता है जो पट्टे को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता का क्र क्र के क्र क्र क्र कार्यालय के क्र क्र कार्यालय का कार के जो प्रार्ग काराय कार्यात कि ता का क्र क्र का का का क्र के क्र क्र कार Sushila Sahu being the wife of the lessee. Meanwhile the applicant, क्रांत के अध W/o Sheo Nath Sahu died. Thereafter an application dated Nil received on

Arre

all sge

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 96/4] 2019 03.01.2019 from Sneha Lata along with an affidavit and notarised succession certificate, claim herself the only daughter of Late Smt. Sushila Sahu W/o Late Sheo Nath Sahu dated Nil is receive this office, requesting to renew the lease.

05.04.2019 को इस बोर्ड के कलिण्ठ अभियंता की साइट लिरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार। As per Site Inspereport of Junior Engineer of this Board dated 05.04.2019.

(i) (i) साइट का सब-डिवीजन: साइट का कोई सब-डिवीजन नहीं है। <u>Sub-Division of site</u>: There sub-division of site.

- (ii) (ii) उद्देश्य में परिवर्तन: साइट पर वाणिज्यिक से आवासीय-सह-वाणिज्यिक में शामिल उद्ध परिवर्तन है। 50% मूतल का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और 50% का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। <u>Change of purpose</u>: There is chan purpose involved from Commercial to Residential-cum-Commercial on the sin 50% of ground floor is being used for commercial purposes and 50% of the being used for commercial purposes.
- (iii) अतिक्रमण: भूमि तल पर भवन के बाहर अनुमानित दुकान के रूप में एक अतिक्रमण क्षेत्र 2 Encroachment: There is an encroachment admeasuring area 21'X3' in form of projected outside of the building on ground floor.
- (iv) अनधिकृत निर्माण: इस कार्यालय में कोई स्वीकृत योजना उपलब्ध नहीं है। इसलिए अ निर्माण की सूचना नहीं दी जा सकती। मौजूदा इमारत G + 2 है। <u>Unauthorised Constru</u> There is no sanctioned plan available in this office. Hence unauthorized construcannot be reported. The existing building is G+2.
- (v) साइट दानापुर केंट के नागरिक क्षेत्र में स्थित है। The site is located in civil area of D. Cantt.

 (vi) हाल की तस्वीरों को लिया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। Recent photographic taken and are kept in the record.

अतिक्रमण हटाने के लिए पीपीई अधिनियम 1971 के तहत एक अलग कार्रवाई शुरू की जानी है।For remo encroachment, a separate action under PPE Act 1971 is to be initiated.

Ibid नीति के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार 31.12.2019 तक की मांग से सुसज्जित है। The d upto 31.12.2019 in accordance with the provision made under the ibid policy is furnished as und

46 | Page

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonmen Dated 26 (4) 20

Particulars of Ar	M. Se Miller	
Lease Rent Details	Rate per annum	Amount
Ront as per Clause III of Lease Indenture 01 07.1986 to 30.06.2016	Rs.58.00	Rs.1740.00
rent/Occupation charge as per Para 1000(iii) dated 10.03.2017 for the period w.e.f. 1012016 to 31.12.2019 for commercial site	Rs.123698.00	Rs.4,32,943.00
and the second	Total	Rs.4,34,683.00

मा ना मणना तालिका पर रखी गई है। The calculation sheet of demand is put up on the table.

of and के मामले के तथ्य के मददेनजर, बोर्ड 10.03.2017 की नई लीज पॉलिसी में निर्धारित नियमों और शर्तों के (किस्तार / पट्टे के निर्धारण के मामले पर विचार कर सकता है और तदनुसार निर्णय ले सकता है। पट्टे के आग से अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के अन्य उल्लंघनों को नियमित नहीं किया जा सकता है। (कि fact of the case stated above and lease conditions, the Board may consider the matter of formion/determination of lease as per terms and conditions laid down in new lease policy 1017 and decide accordingly. The renewal/extension of the lease does not regularise the of constructions, encroachment and other violations of lease terms.

ना भा नोट कर सकता है कि नवीकरण / निर्धारण प्रस्ताव को मामले में उच्च प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। I may note that renewal/determination proposal shall be forwarded to the higher authority in

गर के विचार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

all relevant documents are put on the table for consideration and decision of the board.

THE UTION: The Board has resolved and decided that since the applicant is not the lessee as per the office records and also since the case involves multiple case of lease term/condition violation such as sanction building plan not available, encroachment change of purpose etc. The matter may first be forwarded to legal advisor for legal advise regarding whether the same can be proposed for renewal in the name of applicant/occupier and thereafter reconsidered the matter in the light of legal opinion and in terms of interim policy of Govt. of India vide MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 10.03.2017 and MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands). dtd. 31.12.2018 for extension till 31.12.2019.

npuii Hrahsel, IDES)

Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2-6/4/2019

कार्यसूची सं०- 83 AGENDA NO. 83

Subject: RENEWAL/EXTENSION/DETERMINATION OF LEASE IN REM SURVEY NO.322-1079-1, SADAR BAZAR, DANAPUR CANTONNEN

भार, सरकार का संदर्भ, रक्षा मंत्रालय ने No.11013 / 2/2016 / D (अूमि) दिनांक 10.03.2017 के जि वीडिययाफी पत्र परिचालित किया और 31.12.2019 तक लागू प्रयोज्यता पत्र No.11013 / 2/2016 / D (31.12/2018 Reference Government of India, Ministry of Defence circulated a policy No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12 letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018

2. यह बोर्ड को सूचित किया जाता है कि आरल सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नीतिगत पत्र संख्या 11013/2/2016/ D 1 10,03.2017 को अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 और 1937 के नवीकरण की प्रीक्ष और 1912 पट्टे के छावनी कोड पट्टे। It is intimated to the Board that Government of India, M Defence has issued interim guidelines vide policy letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dated 10 to regularise the occupation of lease held sites as well as to expedite the process of n Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 lease.

मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है: The brief of the case is furnished as under:

जीएलआर के अनुसार, साइट में जीएलआर सर्वे नंबर 322-1079-1, सदर बाजार, दानापुर केंट में प्रवेश क्षेत्र 1191 शामिल हैं। जैसा कि अनुसूची आठवीं सीएलए नियम 1937 में पट्टे की अवधि पर आयोजित दुकान। ७८.११.1 सर्वेक्षण सं ३३२२-१९ sanction९ से उप-मंडल द्वारा मंजूरी दी गई है और मुख्यालय को मंजूरी दी गई है। ECI (M लेटर नंबर.16634-LC2 dt.20.07.1953 (श्रीमती के अनुसार GLR के अनुसार)। चिंतामणि देवी 2yrs के लिए 10 म दिनों के लिए लीज रेंट पर Rs.54.75 प्रति वर्ष का भुगतान कैंटोनमेंट बोर्ड प्राधिकरण को और अक्षय 62 वर्ष 10 म 27 दिनों के लिए देय। उपरोक्त स्थल को बी 3 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह छावनी बोर्ड, क प्रबंधन के अधीन है।As per GLR, the site comprising GLR Survey No.322-1079-1, Sadar Bazar, D Cantt admeasuring area 1191 sqft. as Shop held on lease term in Schedule VIII CLA Rules 10 4.11.1955 sanctioned by sub-division from Survey No.322-1079 sanctioned vide HQ. EC.(M letter No.16634-LC2 dt.20.07.1953(As per GLR) in the name of Smt. Chintamani Devi for 7 months 27 days at the lease rent of Rs.54.75 per annum payable to Cantonment Board author

48 | Page

(Lairinpuii Hrahsel, IDES)

Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26141 201

Control years 10 months and 27 days. The land underneath the above site classified as B3 control the management of Cantonment Board, Danapur.

मार मो शुरुआत में अनुसूची VI CLAR 1937 में नवीकरणीय अवधि में मंगल दोष के पक्ष में दी गई तकल्प पर नब्बे वर्ष तक के लिए दी गई थी, जो सिविल क्षेत्र No.299 / 5 में है, जो अनुसूची VI प पट के साथ हैं। 1929 कुल क्षेत्रफल 1830 वर्गफुट के साथ। बढ़े हुए पट्टे किराए के भुगतान पर महारापी IV में प्रत्येक के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प के रूप में 90 वर्ष की अवधि और जीएलआर के अनुसार 9-7 रुपये (7 जीआर) के अनुसार वार्षिक लीज रेंट पर।Initially, the mually granted in favour of Mangal Dass in Schedule VI CLAR 1937 renewable upto the option of lessee, situated in civil area bearing No.299/5 with lease on schedule VI 1929 with total area 1830 sqft. at the annual lease rent of Rs.29- and 7 anas (as per proof of 90 years renewable at the option of lessee for successive terms of 30 years each V CLAR 1937 on payment of enhanced lease rent.

अनुसार, उसके बाद लीज संपति को मुख्यालय के दो भागों में विभाजित किया जाता है। EC (ML & 16014-LC2 dt 20.07.1953 (और इस क्षेत्र को 1830 वर्ग फुट से घटाकर 639 वर्ग फुट कर दिया गया है। गया है और उक्त लीज प्रॉपर्टी को एक सहायक सर्वे नं। 3222-1079-1 के साथ आवंटित किया गया है। गया है और उक्त लीज प्रॉपर्टी को एक सहायक सर्वे नं। 3222-1079-1 के साथ आवंटित किया गया है, 1191 वर्ग फीट है और इसे 04.11.1955 को निष्पादित किया गया है। अनुसूची आठवीं सीएलए नियम 10 महीने और 27 दिनों की अवधि के लिए 04.11.1955 से 62 वर्ष 10 महीने की कुल अवधि के लिए 110 पर तवीकरणीय और चार सौ रुपये वार्षिक लीज किराए पर केवल बारह वर्ष श्रीमति चिन्ता मणि देवी 110 पर पर नवीकरणीय और चार सौ रुपये वार्षिक लीज किराए पर केवल बारह वर्ष श्रीमति चिन्ता मणि देवी 11 गत्र प्रसाद के नाम परAs per GLR, thereafter the lease property is sub-divided into two parts (ML&C) letter No. 16634-LC2 dt. 20.07.1953 (and the area is deducted from 1830 sqft. 10 महोन 1191 sqft. and the said lease property has allotted with a subsidiary Survey 1091 with admeasuring an area 1191sqft and executed on 04.11.1955 in Schedule VIII CLA 1001 the period of 2 years 10 months and 27 days w.e.f. 04.11.1955 renewable at the option 1001 for the total period of 62 years 10 months and 27 days at the annual lease rent of Rupees 1003 annas twelve only in the name of Shrimati Chinta Mani Devi W/o Dr. Mahendra Prasad

ा पहली अवधि 30.09:1958 को समाप्त हो गई है। The first term of lease has expired on

्रात्र अनुसूची IV के तहत पट्टेदार के पक्ष में नवीनीकृत किया गया, डॉ। महँद्र प्रसाद की श्रीमति चिंतामणि देवी जात के दूसरे कार्यकाल के लिए w.f. 01.10.1958 से 30.09.1988 तक लीज स्वीकृत वीसी मुख्यालय (एम एंड

(Lalrinpuii Hrahsel/IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

Huh (Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/ 2019 iff) पत्र क्रमांक 17931 / ई-पलसी 2 दिलांक 03.08.1968 को रू.2.13 की बढ़ी हुई लीज रेंट पर। The lease was r under Schedule IV in favour of the lessee, Srimati Chintamani Devi wife of Di Mahendra Pre the second term of thirty years w.e.f. 01.10.1958 to 30.09.1988 at the enhanced lease rent of P per annum sanctioned vide HQ.CC (ML&C) letter No.17931/E-LC2 dated 03.08.1968.

इसके बाद पदटे की दूसरी अवधि 30.09.1988 को समाप्त हो गई है। Thereafter the second term of inexpired on 30.09.1988.

रिकॉर्ड से, यह देखा गया है कि तीसरे कार्यकाल w.e.f.01.10.1988 से 30.09.2018 के लिए नवीकरण नहीं। है और 30.09.2018 को पट्टा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। From the record, it has been observe renewal for third term w.e.f.01.10.1988 to 30.09.2018 has not be renewed and the lease we expired on 30.09.2018.

24.05.2017 को श्री शंमु नाथ केशरी से इस कार्यालय को प्राप्त नवीकरण / विस्तार के लिए एक आवेदन प आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए वंशावली तालिका के साथ-साथ केवल कब्जा करने वालों का नाम शंभू नाग दीपक नाथ केशरी, दिलीप केशरी, राज नाथ केशरी राजेश केशरी उर्फ ललन, संदीप केशरी, संतोष केशरी (स्वर्ग प्रसाद केशरी के सभी बेटे) और अमित केशरी एस / ओ स्वर्गीय त्रिलोकी नाथ केशरी ने आवेदन के अनुसार और उ कि उक्त संपति उनके कब्जे के तहत बिक्री-खरीद के माध्यम से पंजीकृत है। उप-रजिस्ट्रार, दानापुर ने दिनांक 29 (उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, कैंटोनमेंट बोर्ड, दानापुर द्वारा अनुमोदित बिक्री-खरीद) नहीं किया।An applican renewal/extension received to this office on 24.05.2017 from Shri Shambhu Nath Keshri, alon genealogical table signed by the applicant only stating names of occupiers i.e. Shambhu Nath K Deepak Nath Keshri, Dilip Keshri, Raj Nath Keshri, Rajesh Keshri urf Lalan, Sandeep I Santosh Keshri (All sons of Late Rajendra Prasad Keshri) & Amit Keshri S/o Late Triloki Nath as per the application and he submitted that the said propetty is under their occupation through Purchase registered in Sub-Registrar, Danapur dated 29.05.1976 (As per the available record Purchase not approved by the Cantonment Board, Danapur).

बिकी विलेख (उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, छावनी बोर्ड, दानापुर द्वारा अनुमोदित बिक्री-खरीद) के अनु पाया गया है कि संपत्ति श्री शंभु नाथ केशरी, त्रिलोकी नाथ केशरी, दीपक कुमार नाथ केशरी को हस्तांतरित कर दी दिलीप कुमार केशरी, राज नाथ केशरी, राजेश केशरी, संदीप केशरी और संतोष कुमार केशरी से श्री महेंद्र प्रसाद प स्वर्गीय बाबू शिव रतन साओ और श्री नवीन चंद्र गुप्ता और श्री सतीश चंद्र गुप्ता एस / ओ डॉ महेंद्र प्रसाद। observation of Sale Deed (As per the available records,Sale-Purchase not approved by the Canto Board, Danapur), it has been found that the property has been transferred to Shri Shambhu Keshri, Triloki Nath Keshri, Deepak Kumar Nath Keshri, Dilip Kumar Keshri, Raj Nath K

50 | Page

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/20 Forder, Nandeep Keshri & Santosh Kumar Keshri from Shri Mahendra Prasad S/o Late Babu

आतारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (अनुसूची IV नवीकरण विलेख) के अनुसार, श्रीमति चिंतामणि देवी प्रात्नी पत्नी थीं, जिनके पास लीज होल्ड राइट ऑफ केदार नाथ और रामेश्वर प्रसाद द्वारा पंजीकृत विलेख को डीड ऑफ लीज द्वारा ली गई है। | As per the documents submitted (Schedule IV by the applicants, Shrimati Chintamani Devi was wife of Dr. Mahendra Prasad has long long by Deed of Transfer of Lease Hold Right by Kedar Nath and Rameshwar Prasad

त्या 15 04.2019 को इस बोर्ड के कलिष्ठ अभियंता की साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, As per Site

()) साइट का सब-डिवीजन: साइट का कोई सब-डिवीजन नहीं है। <u>Sub-division of site</u>: There is no sub-division of site.

(ii) उद्देश्य में परिवर्तनः इसमें शामिल उद्देश्य का कोई परिवर्तन नहीं है। <u>Change of purpose</u>: There is no change of purpose involved.

(iii) अतिक्रमणः बी ४ भूमि से सटे पक्के मंच के आकार में ३६ फुट X ४ फुट और ३६ फुट। X ३ फुट की दूरी पर एक अतिक्रमण है, जिसका उपयोग सड़क से भवन की तलछट तक अतिक्रमण करने के लिए किया जा रहा है। इसके सामने। पीपीई अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अलग से कार्रवाई शुरू की गई है। Encroachment: There is an encroachment measuring 36 ft. X 4 ft and 36 ft. X 3 ft in the shape of pucca platform over adjoining B4 land which is being used for providing egress to the plinth of the building from the road in front of it. Separate action for removal for encroachment is initiated under PPE Act, 1971.

(iv) अनधिकृत निर्माण: इस कार्यालय में कोई स्वीकृत योजना उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनधिकृत निर्माण की सूचना नहीं दी जा सकती। इमारत जी + 1 मंजिल में मौजूद है। <u>Unauthorized</u> <u>construction</u>: There is no sanctioned plan available in this office. Hence unauthorized construction cannot be reported. The building exists G+1 floor.

(v) तीज अवधि का उल्लंघन: साइट लीज़ की गई संपत्ति की बिक्री-खरीद में शामिल है और जीएलआर में प्राफा उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि श्री शंभू नाथ केशरी, त्रिलोकी नाथ केशरी, दीपक कुमार नाथ केशरी, क्रिलीप कुमार केशरी को हस्तांतरित किया गया है।, राज नाथ केशरी, राजेश केशरी, संदीप केशरी और संतोष क्रिलीप कुमार केशरी को हस्तांतरित किया गया है।, राज नाथ केशरी, राजेश केशरी, संदीप केशरी और संतोष क्रिलीप कुमार केशरी को हस्तांतरित किया गया है।

(Lafrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 9-6/4 / 2019 चंद्र गुप्ता एस / ओ डॉ महेंद्र प्रसाद जो क्लॉज़ । का उल्लंघन करते हैं (8) लीज इंडेंट की। Violations of b term: The site is involved in Sale-purchase of the leased property and the same mentioned in the GLR as transferred to to Shri Shambhu Nath Keshri, Triloki Nath Deepak Kumar Nath Keshri, Dilip Kumar Keshri, Raj Nath Keshri, Rajesh Keshri, San Keshri & Santosh Kumar Keshri from Shri Mahendra Prasad S/o Late Babu Shiv Rattan and Shri Navin Chandra Gupta and Shri Satish Chandra Gupta S/o Dr. Mahendra Prasad is violation of Clause I (8) of lease indenture .

(vi) साइट दानापुर कैंट के नागरिक क्षेत्र में स्थित है। The site is located in civil area of Dan (vi)

Cantt.

हाल की तस्वीरों को लिया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। Recent photographs are taken (vi) are kept in the record.

31.12.2019 तक की मांग ibid नीति के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार है: The demand upto 31.13 ision made under the ibid policy is furnished as under:

SI.	Particulars of Amount		1.1.1
No.	Lease Rent Details	Rate per annum	Amou
	Cherry III of Lease Indenture	Rs.123.00	Rs.36
1.		Rs.87487.00	Rs.1093
2.	Lease rent/Occupation charge as per rule 10.03.2017 w.e.f. 01.10.2018 to 31.12/2019 for commercial site	Total	Rs.113

मांगपत्र की गणना तालिका पर रखी गई है। The calculation sheet of demand is put up on the table.

उपरोक्त और लीज शर्तों के मामले के तथ्य के मद्देनजर, बोर्ड 10.03.2017 की नई लीज पॉलिसी में निर्धारित नियमों और अनुसार नयीकरण / विस्तार / पट्टे के निर्धारण के मामले पर विचार कर सकता है और तदनुसार निर्णय ले सकता है। नवीकरण / विस्तार से अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के अन्य उल्लंघनों को नियमित नहीं किया जा सक view of the fact of the case stated above and lease conditions, the Board may consider the main renewal/extension/determination of lease as per terms and conditions laid down in new lease dated 10.03.2017 and decide accordingly. The renewal/extension of the lease does not regular unauthorised constructions, encroachment and other violations of lease terms.

52 | Page

inpuii Hrahsel, (DES) Member Secretary Danapur Cantonment

Yadav) (Brig. A.K President Danapur Cantonment

Dated 26.04, 2019

Dated

ती पात जोट कर सकता है कि नवीकरण / निर्धारण प्रस्ताव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र नीति सं। सं। के मा मामले में खंड (२) (i) के अनुसार अनुकंपा के लिए गठित उच्च प्राधिकरण / समिति को भेजा जाएगा। (भारत) / जी (भूमि) दिनांक 10.03.2017 The Board may note that renewal/determination proposal forwarded to the higher authority/ committee constituted for the condonation as per clause of the in the matter as per Government of India, Ministry of Defence policy letter 10.022016/D(Lands) dated 10.03.2017.

के जिलार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

to a sound documents are put on the table for consideration and decision of the board.

TION: The Board has resolved and decided that since the applicant is not the lessee as per the office records and also since the case involves multiple case of lease term/condition violation such as sanction building plan not available, encroachment change of ownership without any legal heir certificate and also attested copy of registered sale deed etc. The matter may first be forwarded to legal advisor for legal advise regarding whether the same can be proposed for renewal in the name of applicant/occupier and thereafter reconsidered the matter in the light of legal opinion and in terms of interim policy of Govt. of India vide MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 10.03.2017 and MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 31.12.2018 for extension till 31.12.2019.

(Lalrinpuii Hrahsel,/IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/ 2019

14 m mo. 84

A DIA NO. 84 Endinet: <u>RENEWAL/EXTENSION/DETERMINATION OF LEASE IN RESPECT OF</u> <u>SURVEY NO.322-1079, SADAR BAZAR, DANAPUR CANTONMENT</u>

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2019 26/4/

भारत सरकार का संदर्भ, रक्षा मंत्रालय ने No.11013 / 2/2016 / D (भूमि) दिलांक 10.03.2017 के लिए पत्र वीडियोवाफी पत्र परियालित किया और 31.12.2019 तक लागू प्रयोज्यता पत्र No.11013 / 2/2016 / D (भूमि) 1 31.12.2018Reference Government of India, Ministry of Defence circulated a policy vide i No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.2019 letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018

2. यह बोर्ड को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने जीतिगत पत्र संख्या 11013/2/2016 / 0 दिलांक 10.03.2017 को अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 और 1937 के नवीकरण की और 1899 और 1912 पट्टे के छावनी कोड पट्टे।It is intimated to the Board that Government of India, Minim Defence has issued interim guidelines vide policy letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dated 10.01 to regularise the occupation of lease held sites as well as to expedite the process of renew Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 AT

मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है: The brief of the case is furnished as under:

यह अंतरंग करने के लिए आगे है कि सिविल क्षेत्र में स्थित एक साइट, जिसमें सर्वक्षण नंबर 322-1079 बाजार, दानापुर केंट क्षेत्र 1830 वर्ग फुट शामिल है। तीस साल की अवधि के लिए अनुसूची VI CLAB 1925 में दु बाजार, दानापुर केंट क्षेत्र 1830 वर्ग फुट शामिल है। तीस साल की अवधि के लिए अनुसूची VI CLAB 1925 में दु प्रयोजन के लिए 02.02.1929 को मंगल दास एस / ओ बंगाली शॉ को शुरू में प्रदान किया गया था। 01.10,199 30.09.1958 तक प्रति वर्ष रु .9 / 7 / - के पट्टे किराए के मुगतान पर, बी 3 भूमि के रूप में वर्गीकृत और छावनी दानापुर के प्रबंधन के तहत। उक्त पट्टे के अनुसार Sy.No.322-1079 को 04.11.1955 को छावनी बोई, दीनापुर में in-Chief, पूर्वी कमान के पुष्टिकरण की पुष्टि के साथ, उनके पत्र क्रमांक -16634-LC2 दिनांक 20 जुलाई 1953 को स दिया गया।It is further to intimate that a site located in civil area, comprising Survey No.322-19 Sadar Bazar, Danapur Cantt admeasuring area 1830 sqft. was initially granted to Mangal Dam Bengali Shaw on 02.02.1929 for the purpose of Shop in Schedule VI CLAR-1925 for a term of u years w.e.f. 01.10.1928 to 30.09.1958 on payment of lease rent of Rs.29/7/- per annum, classifie B3 land and under the management of Cantonment Board, Danapur. As per the said lease Sy.No 1079 is surrendered on 04.11.1955 to Cantonment Board, Dinapur with the confirmation of the GI in-Chief, Eastern Command vide his letter No.I6634-LC2 dated 20th July 1953.

इसके बाद लीज बेयरिंग सर्वे नं। 2222-1079 को दो आगों में विभाजित किया गया है। अर्थात्। No.322-1079, क्षेत्रफल को 639sqft मापा गया है, जो अपने मूल प्रवेश क्षेत्र 1830sqft वीडी डीडो से घटाया गया है। Qtrl ईसी (एमए सी) पत्र क्रमांक १६३४-एलसी २ दिनांक २०.०).१ ९ ५३। इसके बाद Sy.No.322-1079 एक क्षेत्र के साथ 639 वर्ग प

54 | Page

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES)

(Lalrinpuii Hransel, uDE, Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26 4 20 भा स्वर्गीय मंगल दास को 04.11.1955 को अनुसूची VIII CLA नियम 1937 में दो साल दस महीने और पच्ची स पर पट्टे पर दिया गया था। दो साल के दस महीने और पच्चीस दिन के कम के विकल्प में भा से ३०.० ९ .१ ९ ५ ० करपए किराया पट्टे के भुगतान पर उनतीस और सालाना केवल पांच। पट्टे भा से ३०.० ९ .१ ९ ५ ० करपए किराया पट्टे के भुगतान पर उनतीस और सालाना केवल पांच। पट्टे भा सो दो साल के अपने पहले कार्यकाल और सलाईस दिनों की अवधि समाप्त हो गई है।Thereafter भा पर No.322-1079 is sub-divided into two parts i.e.Sy.No.322-1079 with an area भा deducted from its original admeasuring an area 1830sqft vide Hd. Qtr. EC(ML&C) 1 LC2 dated 20.07.1953. Subsequently Sy.No.322-1079 with an area 639sqft was leased with S/o Late Mangal Dass on 04.11.1955 for the purpose on shop in Schedule VIII 1917 for a term of two years ten months and twenty seven days renewable at option of the stry two years ten months and twenty seven days w.e.f. 04.11.1955 to 30.09.1958 on and the strent of Rupees twenty nine and annas five only per annum. The lease has expired its of wo years ten months and twenty seven days on 30.09.1958.

का तीज के पहले कार्यकाल की समाप्ति पर, शेइयूल IV के तहत 30 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए तिया गया था। 01.10.1958 से 30.09.1988 मुख्यालय की मंजूरी। पूर्वी कमान (एमएल एंड सी) पत्र 1 / एलसी 2 दिनांक 18.12.1961 को रु। 333.97 की बढ़ी हुई लीज रेंट के भुगतान पर। केदार नाथ की जनर पत्नी और श्री केदार नाथ के पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय को उपलब्ध कर पत्नी और श्री केदार नाथ के पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय को उपलब्ध कार पत्नी और श्री केदार नाथ के पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय को उपलब्ध कार पत्नी और श्री केदार नाथ के पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय को उपलब्ध का अनुसार, हालांकि इस संबंध में तारीख तक जीएलआर में नवीनीकरण नवीनीकृत नहीं किया गया है। अवधि 30.09.1988 को समाप्त हो गई है। रिकॉर्ड से, यह देखा गया है कि तीसरे कार्यकाल कश्र से 30.09.2018 के लिए नवीकरण नहीं किया गया है और 30.09.2018 को पट्टा पूरी तरह से समाप्त हो कशागर को 30.99.2018 के लिए नवीकरण नहीं किया गया है और 30.09.2018 को पट्टा पूरी तरह से समाप्त हो कशागर (ML&C) letter No.17931-D/LC2 dated 18.12.1961 on payment of enhanced lease ren of N P, per annum in the name of Srimati Rampati Kuer wife of Kedar Nath and Shri Prasad son of Shri Kedar Nath as per renewal deed available to this office however of lease is not updated in GLR till the date in this respect. The second term of lease has m 30.09.1988. From the record, it has been observed that renewal for third term 1988 to 30.09.2018 has not be renewed and the lease was fully expired on 30.09.2018.

An application dated Nil received to this office on 23.05.2017 was submitted by Shri Anand I and Sudama Devi w/o Late Madan Mohan Rai, stating that the said property came to them hale registered in Sub-Registrar, Danapur after permission for transfer issued vide Office of Bihar Circle, Danapur Cantt letter No.GEN-396/Vol-II/59 dated 20.08.1992.

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 06 4 2019

सेल शैव के अवलोकन से, यह पाया गया है कि सम्पत्ति श्री आनंद मोहन राय और श्री मदन राय के दोनों पूर्व विरोमाण चितामणि देवी डब्ल्यू / ओ स्वर्गीय रामेश्वरम साओ से स्वर्गीय राम चरित्र राय को हस्तांतरित कर दी आवेदक द्वारा प्रस्तुत वंशावली तालिका के अनुसार, श्रीमति चिंतामणि देवी स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद (पट्टेदार ओ स्वर्गीय रामपति कुपर (पट्टेदार -2) डब्ल्यू / ओ स्वर्गीय श्री केदार नाथ की पत्नी थीं।From observation of Deed, it has been found that the property has been transferred to Shri Anand Mohan Rai Madan Rai both sons of Late Ram Charitra Rai from Shrimati Chintamani Devi W/o Late Rame Sao. As per genealogical table submitted by the applicant, Shrimati Chintamani Devi was wife of Shri Rameshwar Prasad (lessee-1) S/o Late Rampati Kuer (lessee-2) W/o Late Shri Kedar Nath.

हालांकि, उपरोक्त वंशावली तालिका को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। चूंकि GLR म हम के लिए नवीनीकरण की मंजूरी दर्ज नहीं की गई है, जीएलआर के अनुसार, श्री केदार नाथ को रु। However, the no documentary evidence to establish the above genealogical table. Since the sanction of renewa 2nd term has not been recorded in GLR, as per GLR, Shri Kedar Nath stands as recorded lessee.

दिलांक 05.04.2019 को इस बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता की साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, As per Inspection report of Junior Engineer of this Board dated 05.04.2019,

- (i) (i) साइट का सब-डिवीजन: साइट का कोई सब-डिवीजन नहीं है। <u>Sub-division of site</u>: There is
 - sub-division of site. (ii) (ii) उददेश्य में परिवर्तन: इसमें शामिल उद्देश्य का कोई परिवर्तन नहीं है। <u>Change of purp</u>

 - (iii) (i) अतिक्रमण: बी 4 भूमि से सटे पक्के मंच के आकार में 24 फीट X 4 फीट और 24 फीट। X 3 फीट दूरी पर एक अतिक्रमण है, जिसका उपयोग सड़क से भवन के तल में प्रवेश प्रदान करने के लिए किया रहा है। इसके सामने। पीपीई अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अलग से कार्रवाई की गई है। <u>Encroachment</u>: There is an encroachment measuring 24 ft. X 4 ft and 24 if 3 ft in the shape of pucca platform over adjoining B4 land which is being used providing egress to the plinth of the building from the road in front of it. Separate action for removal for encroachment is initiated under PPE Act, 1971.
 - (iv) अनधिकृत निर्माणः इस कार्यालय में कोई स्वीकृत योजना उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनीध निर्माण की सूचना नहीं दी जा सकती। इमारत जी + 1 मंजिल में मौजूद है। <u>Unauthorize</u> <u>construction</u>: There is no sanctioned plan available in this office. Hence unauthorize construction cannot be reported. The building exists G+1 floor.
 (v) लीज अवधि का उल्लंघन: साइट लीज की गई संपत्ति की बिक्री-खरीद में शामिल है। <u>Violation</u>
 - (v) Allow starts and a section is the difference of the leased property. lease term: The site is involved in Sale-purchase of the leased property.

56 | Page

X dela

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 24.04, 2019 (Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2-6 (M) 2019 man तानापुर कैंट के नागरिक क्षेत्र में स्थित है। The site is located in civil area of Danapur

ति के तस्वीरों को लिया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। Recent photographs are taken and

ता के मांग ibid नीति के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार है: The demand upto 31.12.2019

Particulars of Amount

Lease Rent Details	Rate per annum	Amount
Hent as per Clause III of Lease Indenture	Rs.66.00	Rs.1980.00
017 w.e.f. 01.10.2018 to 31.12.2019 for commercial site		Rs.58667.50
	Total	Rs.60647.50

तालिका पर रखी गई है। The calculation sheet of demand is put up on the table.

off तीज शर्तों के मामले के तथ्य के मद्देलजर, बोर्ड 10.03.2017 की नई लीज पॉलिसी में निर्धारित नियमों और शर्तों ति ता (ग / विस्तार / पट्टे के निर्धारण के मामले पर विचार कर सकता है और तदनुसार निर्णय ले सकता है। पट्टे के ति ता (ग / विस्तार / पट्टे के निर्धारण और पट्टे की शर्तों के अन्य उल्लंघनों को नियमित नहीं किया जा सकता है। In fact of the case stated above and lease conditions, the Board may consider the matter of found of determination of lease as per terms and conditions laid down in new lease policy 1017 and decide accordingly. The renewal/extension of the lease does not regularise the opstructions, encroachment and other violations of lease terms.

ना भार नोट कर सकता है कि नवीकरण / निर्धारण प्रस्ताव को मामले में उच्च प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। The Hoard may note that renewal/determination proposal shall be forwarded to the higher on the matter.

निमार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

and documents are put on the table for consideration and decision of the board.

UTION: The Board has resolved and decided that since the applicant is not the lessee as per the office records and also since the case involves multiple

(Lairinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2-6/4/2019 case of lease term/condition violation such as sanction building planting available, encroachment change of ownership without any least certificate and also attested copy of registered sale deed etc. The may first be forwarded to legal advisor for legal advise regarding at the same can be proposed for renewal in the name of applicative and thereafter reconsidered the matter in the light of legal opinion terms of interim policy of Govt. of India vide MoD Inter 1013/2/2016/D(Lands) dtd. 10.03.2017 and MoD Inter 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 31.12.2018 for extension till 31.12.2019.

L. Sharles

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

कार्यसूची सं- 85

AGENDA NO. 85 Subject: <u>DETERMINATION OF LEASE IN RESPECT OF SURVEY NO.297, DANAU</u> CANTONMENT

यह बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि आरत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने No.11013 / 2/2016 / D (भूमि) 10.03.2017 के लिए एक नीति वीडियोग्राफी पत्र परिचालित किया और आवेदन पत्र 31.12.2019 तक बा 11013/2/2016 / डी (भूमि) दिनांक 31.12.2018 के बारे में: It is brought to the notice of the Board Government of India, Ministry of Defence circulated a policy vide letter No.11013/2/2016/D (La dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.2019 vide L No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018 regarding:

- 1. 1. 1899 और 1912 के छोड़े गए और समाप्त हो रहे छावनी कोड पट्टों का विस्तार और छावनी भूमि प्रा नियम, 1925 और 1937 Extension of expired/expiring Cantonment Code Leases of 1899 & 1 and Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937
- 2. कैंटोनमेंट कोड और सीएलएआर के नवीकरण जिनके पूर्ण अवधि की अवधि समाप्त नहीं हुई है Ren of Cantonment Code and CLAR leases whose full term has not expired

58 | Page

(Lalrinpuii Hrahsel IDES)

Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4 2019

(Brig. A.K Yadav)

Dated 2614

President

2019

Danapur Cantonment

्र को बोबाण 25.2sqft एक क्षेत्र को मापने के लिए No.297 के संबंध में पटटा। शॉप के लिए अनुसूची VI CLA र के प्रमाद बारी को 90 वर्ष की अवधि के लिए 15.01.1929 को लीज इंडेंटयोर की वीडियोग्राफी कराई गई क मा ४। ४/। ३ / - प्रति वर्ष लीज रेंट के भुगतान पर। जीएलआर के अनुसार, लीज की गई संपत्ति को सीता बार्ग जिस्त्री को विरासत में ई.आई.आई. No.780 / I-R-I दिनांक 15.06.1948। पटटे की पहली अवधि ्राजन गमाप्त हो गई है। तीस साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अनुसुची IV सीएलए नियम 1937 के तहत पट्टे काल किया गया था। 01.04.1958 से 31.03.1988 तक, श्री सीता मिस्त्री और दासई मिस्त्री के श्री फागो मिस्त्री त को न वर्ष रु। 6.72 प्रति वर्ष के पटटे पर बढ़ाया गया किराया मुख्यालय दवारा अनुमोदित। चुनाव आयोग। and 2 दिनांक 30.09.19611 Initially the lease in respect of Survey No.297 measuring an and for Shop was granted to Ram Prasad Barhi in Schedule VI CLA Rules 1925 vide Lease a doubt 15.01.1929, for a period of 90 years w.e.f. 01.04.1928 on the payment of lease rent of the per annum. As per GLR, the leased property was transferred to Sita Mistri & Phagoo Mistry wer vide E.O.I. No.780/I-R-I dated 15.06.1948. The first term of lease has expired on The lease was renewed under Schedule IV CLA Rules 1937 for second term of thirty 01.04.1958 to 31.03.1988 on payment enhanced lease rent of Rs.62.72 per annum in A blue Nita Mistri & Shri Phagoo Mistri sons of Dasai Mistri sanctioned vide HQ. EC. letter LC2 dated 30.09.1961.

ा पूसरी अवधि 31.03.1988 को समाप्त हो गई है। The second term of lease has expired on

भा जाता है कि 3 जी के लिए नवीकरण का प्रस्ताव w.e.f. 01.04.1988 को निदेशालय को इस कार्यालय पत्र / एलआर / Sy.No.297 / 04 दिनांक 03.01.2014 को क्षेज दिया गया है, उसी को अवलोकन के साथ वापस और जब से पत्राचार जारी है। इस बीच 29.11.2015 को साइट पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण का और जब से पत्राचार जारी है। इस बीच 29.11.2016 के निर्धारण के लिए एक ही हल किया है, उसके बाद को के सर्कुलर एजेंडा संख्या 199 दिनांक 19.01.2016 के निर्धारण के लिए एक ही हल किया है, उसके बाद का गई संपत्ति के निर्धारण के प्रस्ताव को इस कार्यालय पत्र संख्यासीबीसी / जेई / 85 दिनांक 29.02.2016 को का गया। लेकिन नई लीज पॉलिसी दिनांक 10.03.2017 के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। साइट का का स्था ते किया गया है और वर्तामान जमीनी स्थिति के अनुसार, प्रस्ताव की फिर से जांच की जा रही है। It is noted BD/L.R./Sy.No.297/04 dated 03.01.2014, the same was returned with observation and since pondence is continued. Meanwhile encroachment and unauthorized construction was the site 29.11.2015. The Board has resolved the same for the determination vide Circular 59 dated 19.01.2016, thereafter proposal for determination of the said leased property was

(Lalrinpuij Hrahsel, IDES)

(Lälrinpuii Hrahsel,IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/2019 initiated vide this office letter No.CBD/JE/85 dated 29.02.2015. But in the light of new lease dated 10.03.2017, the case was reviewed. The site inspection has carried out again and as perground situation, the proposal is re-examined.

इस बीच नवीकरण के लिए प्रसंस्करण के दौरान, पटटा का तीसरा और अंतिम कार्यकाल w.e.f. 01.01 11.03.2018 को पूरी तरह समाप्त हो गया है। 19.05.2017 को स्व-घोषित वंशवली विवरण के साथ एक आवेतन कमार शर्मा, 2. अजय कुमार शर्मा, 3. हरजाई कुमार शर्मा, 4. अभय शर्मा, 5. उय कुमार शर्मा, 6. जलमजय कुमार दवारा प्रस्तुत किया गया था। .अनृप शर्मा, 8. किशोर शर्मा, 9. संजीव शर्मा, 10. कृष्णा देवी, 30 वर्षों के तीसर का लिए विषय संपत्ति की समय सीमा समाप्त करने के नवीकरण के लिए 01.04.1988से 31.03.2018 और पूर्ण अवाध का विस्तार w.e.f. 01.04.2018 से 31.12.2018 तक। दरबी देवी दवारा उक्त अवधि के लिए नवीनीकरण के लिए ग आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कुल क्षेत्र 2597Xqft में 🕏 50'X8'2 "का कब्जा 👘 03.12.1994 को एक श्री विष्णु नारायण शर्मा एस / ओ स्वर्गीय फागू मिस्त्री (उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, प्रा दानापर दवारा अनमोदित नहीं किया गया था) के माध्यम से उसे हस्तांतरित किया गया। Meanwhile dur processing for the renewal, the 3rd and final term of the lease w.e.f. 01.04.1988 has been fully on 31.03.2018. One application with self declared genealogical details dated 19.05.2017 was subby 1. Sanjay Kumar Sharma, 2. Ajay Kumar Sharma, 3. Harijai Kumar Sharma, 4. Abhay Shar Jai Kumar Sharma, 6. Jalmajai Kumar Sharma, 7. Anup Sharma, 8. Kishore Sharma, 9. Sharma, 10. Krishna Devi, for renewal of expired lease of the subject property for the third term years w.e.f. 01.04.1988 to 31.03.2018 and extension of full term lease w.e.f. 01.04.2018 to 31.11 Another application for renewal for the said period is submitted by Darbi Devi claiming here occupier of an area 50'X8'2" out of total area 2597sqft. transferred to her through registered a sale dated 03.12.1994 by one Shri Vishnu Narayan Sharma S/o Late Phagu Mistri (as per the av records, the same was not approved by the Cantonment Board, Danapur).

The Site has been inspected by Junior Engineer of this office and submitted its rep 05.04.2019, wherein it has been reported the following:

(i) (i) साइट का सब-डितीजन: साइट कुल एरिया 2597sqft में से 408sqft (50'X8'2 ") मापने वाले लीज के हिस्से के एकमुश्त बिक्री से उप-विभाजित है। 03.12.1994 को पंजीकृत विलेख की बिक्री के मा दरबी देवी को बेचे गए हिस्से का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अलग से किया जा रहा है। <u>division of site</u>: The site is sub-divided by outright sale of a portion of lease out pr measuring 408sqft (50'X8'2") out of total area 2597sqft. The sold portion to Darb through registered deed of sale dated 03.12.1994 is being used for commercial pr separately.

60 | Page

(Lalrinpuii Hrahsel, (DES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 26.04, 2019

(Brig. A.K. Yadav)

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment

Dated 26/4

प्रति भवपि का उल्लंघन: उपरोक्त भाग बिक्री के पंजीकृत विलेख के माध्यम से बेचा जाता है, दिनांक प्रति पर भ को पट्टे की अवधि के क्लॉज I (8) के तहत आवश्यक प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए Violation of lease term: A portion states above sold through registered deed of and dated 03.12.1994 without obtaining prior permission from the competent authority as computed under Clause I (8) of the lease term.

भोतीकमण: साइट माप पर, यह पाया गया है कि भवन के दक्षिण भाग में, 49 'X 4'9' क्षेत्र को मापने तथा अतिकमण सरकार पर पाया गया है। भवन के विस्तार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण नं .292 अतिक्रमण विधाने वाली साइट योजना संलग्न है। पीपीई अधिनियम 1971 के तहत एक अलग कार्रवाई अतिक्रमण हो के लिए शुरू की अई है। <u>Encroachment</u>: On the site measurement, it has been found that a south portion of the building, an encroachment measuring an area 49' X 4'9" has been build on Govt, land bearing Survey No.292 by extension of building. The site plan howing encroachment is enclosed. A separate action under PPE Act 1971 is initiated for removal of the encroachment.

(IV) अनधिकृत निर्माण: अवन निर्माण योजना के अनुमोदन से, CAC संकल्प संख्या १.१.05 दिनांक 19.99.१ ९ video स्वीकृत सीबीआर संख्या २, दिनांक १९.०९.१ ९,० के अनुसार, यह पाया गया है कि एक क्षाजा पहले ४ ९४४५७ को समाप्त करता है। दक्षिणी आग में तल और उत्तरी भाग में पहली मंजिल पर 19.४३³ "अनधिकृत निर्माण के तहत है और सरकार पर अतिक्रमण भी करता है। भूमि का असर सी। No.2921Unauthorised Construction: From perusal of building plan sanctioned vide CAC Resolution No.17 dated 05.05.1970 as confirmed vide CBR No.2 dated 15.05.1970, it has been found that a Chhajja measuring 49'X4'9" on first floor in southern portion and 40'X3'3" on first floor in northern portion is under unauthorised construction and also constitutes encroachment on Govt. land bearing Sy. No.292.

आतेकमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। यह कार्यालय पत्र संख्या आवीसीडी / एलआर / Sy.No.297 / 82 दिनांक 23.02.2016 को जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण / अनधिकृत निर्माण आज तक मौजूद है।Notice for removal of encroachment and unauthorised construction was issued vide this office letter No.CBD/L.R./Sy.No.297/82 dated 23.02.2016 but the encroachment/unauthorised construction exists till the date.

(v) उद्देश्य में परिवर्तनः इसमें शामिल उद्देश्य का कोई परिवर्तन नहीं है। लीज प्रॉपर्टी शॉप के लिए दी गई है और याउंड फ्लोर का इस्तेमाल पूरी तरह से कमर्शियल के लिए किया जा रहा है। पहली मंजिल का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। <u>Change of purpose</u>: There is no change of purpose

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2-6/4 2019 involve. The lease property is given for Shop and the ground floor is being work the Commercial purpose. The first floor is being used for residential purpose.

- (vi) साइट दानापुर कैंट के नागरिक क्षेत्र में स्थित है और इमारत भूतल और पहली मंजिल में मा स्वी site is located in civil area of Danapur Cantt and the building exists in ground (vi)
- (vii) (vii) हाल की तस्वीरें ली गई हैं और रिकॉर्ड में रखी गई हैं। Recent photographs are taking kept in the record.

31.12.2019 तक की मांग ibid नीति के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार है: The demand upto मा in accordance with the provision made under the ibid policy is furnished as under

Porticulars of Amount

SI. No.	Lease Rent Details	Rate per annum	Amus
1.	Lease Rent as per Clause III of Lease Indenture	Rs.94.00	He P
2.	w.e.f. 01.04.1988 to 31.03.2018 Lease rent/Occupation charge as per Para 1(B)(a)(iii) dated 10.03.2017 for the period w.e.f. 01.07.2018 to	Rs.190771.00	Rs.M.
	31.12.2019 for commercial site	Total	Rs.11s

मांगपत्र की गणना तालिका पर रखी गई है। The calculation sheet of demand is put up on the

उपर वर्णित मामले के तथ्य के मददेनजर, बोर्ड उपरोक्त संपति के पट्टे के निर्धारण पर विचार कर सावल संबंधित संपत्ति में पट्टे की शर्त के उल्लंघन के कई मामले शामिल हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। In the fact of the case stated above, the Board may consider the determination of lease of the property as the concerned property involves multiple cases of violation of lease condition as m above.

बोर्ड इस बात पर ध्यान दे सकता है कि निर्धारण प्रस्ताव मामले में उच्च प्राधिकारी को भेजा जाएगा। The II note that determination proposal shall be forwarded to the higher authority in the matter. बोर्ड के विचार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं। All relevant documents are put on the table for consideration and decision of the board.

62 | Page

(IDES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 26,04, 2019

(Brig, A.K. Yadavi President Danapur Cantonne

Dated

The Board has deliberated and resolved that the lease should be sent for determination as it involves multiple violation of lease terms and conditions such as sale without permission from the Board/Govt. Authorities which also involves bifurcation and sub-division of lease. unauthorized construction and encroachment of Govt. land and since the sale without permission also involves sub-division of the lease site it is beyond the authority of the Board to condone such sale amounting to sub-division. Further, the applicants also failed to produce legal papers claiming their occupancy rights such as legal heir certificates. Shri Umesh Kumar, Vice-President put his recommendation to consider the matter that charging damage charges to the lessee/current occupants may be considered and allowed by the Govt. even in those cases where there are multiple violation of lease conditions such as sub-division of lease site and encroachment.

11 alrinpuii Hrahsel, IDES Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig, A.K. Yaday) President Danapur Cantonment 26/4/ Dated 2019

10.00 DILL NO.

DETERMINATION OF LEASE IN RESPECT OF SURVEY NO.241-15, DANAPUR CANTONMENT

मा मा संदर्भ, रक्षा मंत्रालय ने No.11013 / 2/2016 / D (भूमि) दिनांक 10.03.2017 के लिए एक नीति म भोरपालित किया और 31.12.2019 तक लागू प्रयोज्यता पत्र No.11013*/ 2/2016 / D (भुमि) दिनांक defenence Government of India, Ministry of Defence circulated a policy vide letter

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

AA (Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment 26/41 Dated 2019

No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.201 letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018

2. यह बोर्ड को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नीतिगत पत्र संख्या 11013/2/2016 / D (व) 1003.2017 को अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 और 1937 के नवीकरण की प्रतिना और 1912 पदटे के छावनी कोड पद्टे। It is intimated to the Board that Government of India, Mon Defence has issued interim guidelines vide policy letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dated 10 to to regularise the occupation of lease held sites as well as to expedite the process of more Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 lease.

3. मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है: The brief of the case is furnished as under:

पारंभ में 1078 वर्गफुट की भूमि का एक टुकड़ा सीएलए नियम 1925 की अनुसूची VI में बालगोविंद कुम्हार रामरुख कुम्हार को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जो कि लीज इंडेंट्योर 24.06.132 को दिवा यौगिक दीवार के लिए रु. 3 / 12 / प्रति वर्ष लीज रेंट के भुगतान पर जून 1932 Initially a piece of land admi 1078 sqft was leased out to Balgovind Kumhar S/o Ramruch Kumhar in Schedule VI of CLA 1925 for a term of 30 years vide Lease Indenture dated 24.06.1932 w.e.f. June 1932 on paya lease rent of Rs.3/12/ per annum for compound wall.

जीएलआर के अनुसार, सर्वेक्षण नंबर 2241-15 कुल क्षेत्रफल 3890 वर्ग फुट को मापने के लिए दर्ज किया गया। 2812sqft ओल्ड ग्रांट और 1078sqft शामिल है जो बाल गोबिंद लाल के नाम पर अनुसूची -3 पर पट्टे पर दिए गए सिविल क्षेत्र के श्रीतर B-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ड्राइवर लेन है। और बाद में श्री मथुरा पंडित के नाम कर दिया गया। वीडी सी.ए.सी. संकल्प संख्या 11, दिनांक 30.6.1962 के अनुसार सी। बी। संकल्प संख्या 1 09.07.1962 द्वारा पुष्टि की गई है। As per GLR, Survey No.241-15 admeasuring total area is n measuring 3890 sqft which includes 2812sqft Old Grant and 1078sqft leased on Schedule VI name of Bal Gobind Lall classified as B-3 located within civil area, Driver's lane. And subac mutated in the name of Shri Mathura Pandit vide Vide C.A.C. Resolution No.11, dated 30.6.1 confirmed by C.B. Resolution No.1 dated 09.07.1962.

पट्टे का पहला कार्यकाल 31.05.1960 को समाप्त हो गया था। सीएलए नियम 1937 की अनुसूपी 30.06.1962 से 31.05.1992 तक मुख्यालय / सेंट्ल कमांड (एमएल और सी) के पत्र क्रमांक नंबर 18964-LC 03.09.163 से नवीनीकरण के दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टे को नवीनीकृत किया गया था और नवीकरण पटा निष्पादित किया गया था 30.01.1964 को बुक नंबर 1, वॉल्यूम 13, पेज 154 से 156 में पंजीकृत, नंबर 106

64 | Page

6. Storbe

(Lalrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonne Dated 26/4/2 रात्र दानापुर में। पट्टेदार, श्री मथुरा पंडित का निधन 23.04.1997 को हो गया था। The first term expired on 31.05.1960. The lease was renewed for the second term on Schedule IV of 03 years from 01.06.1962 to 31.05.1992 vide HQ/Central Command (ML&C) and the second term of ter

तिया जाता है कि उक्त पट्टे की संपति के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव इस कार्यालय पत्र संख्या । दिनांक 29.02.2016 से शुरू किया गया था। लेकिन नई लीज पॉलिसी दिनांक 10.03.2017 के आलोक कार्याता की गई। साइट निरीक्षण फिर से किया गया है और वर्तमान जमीनी स्थिति के अनुसार, दृढ़ संकल्प किया जाना है। It is noted that a proposal for determination of the said leased property was this office letter No.CBD/JE/84 dated 29.02.2016. But in the light of new lease policy 1017, the case was reviewed. The site inspection has carried out again and as per current autor, the proposal for determination has to be initiated.

मि मृत्यु के बाद, दिवाली पंडित, राम ईश्वर पंडित, राजेश्वर पंडित और बिंदेश्वर पंडित ने संपति पर कब्जा स्थाकतानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उत्पादन आज तक नहीं किया गया है। प्राप्त आवेदन के अनुसार, मा भीत का स्वर्गवास दिनांक 05.10.2017 को हो गया है। दिनांक 18.01.2018 को राम ईश्वर पंडित, राजेश्वर पंडित और राजीव कुमार एस / ओ लेट दिवाली पंडित (आवेदन के अनुसार) द्वारा सार्वजनिक सूचना / पट्टा के संदर्भ में पट्टे के नवीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। / १०२ दिनांक २५,०३.२०१ भीति दिनांक १०.०३.२०१ 25 के अनुसार। After death of lessee, Diwali Pandit, Ram Ishwar Pandit, Pandit & Bindeshwar Pandit took the possession of the property. The succession certificate is not produced till the date. As per the application received,One Shri Diwali Pandit has 10.2017. An application dated 18.01.2018 was submitted by Ram Ishwar Pandit, Rajeshwar Vindeshwar Pandit & Rajeev Kumar S/o Late Diwali Pandit (as per the application) for the lease in reference of public Notice No.CBD/JE/Lease/172 dated 25.03.2017 as per new tor you dated 10.03.2017.

भा बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक ०५.०४.२०१९: As per Office report of Indineer of this Board dated 05.04.2019:

ा। गाइट का सब-डिवीजन: साइट का सब-डिवीजन होता है, साइट को पक्की दीवार से उप-विभाजित किया गया है जो। उसके बाद पक्के सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है <u>Sub-division of site</u>: There is sub-division

(Lafrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 26/4/ 2019

of site, the site has been sub-divided by Pucca Wall and constructing Pucca super-

(ii) उद्देश्य का परिवर्तन: साइट पर उद्देश्य का परिवर्तन है। यह साइट कम्पाउंड वॉल के लिए दी म वर्तमान में, आवेदक इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में भूतल पर पत निर्माण के लिए करते हैं 28'0 "X38'6" और अतिक्रमित भूमि (भूतल) पर 38 ' 6 "X5 'दक्षिणी भाग मे पश्चिमी आग में। Change of purpose: There is change of purpose on the site. The site in for Compound Wall but at present, the applicants use it for residential purposes by construction of Pucca Building on ground floor in leased out area 28'0"X38'6 encroached land (ground floor) 38'6"X5' in southern portion and 33'X3' in western port (iii) अनधिकृत निर्माण: उस साइट पर इमारत मौजूद है जो सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के बिना बनाई 👘 🚺 कार्यालय के पत्र सं। सीबीडी / एल.आर / सै.नं..3.3 / 1088/83 दिनांक 23.02.2016 के आधार पर एक नोशि किया गया था। पट्टे पर दिए गए क्षेत्र 28'0 "X38'6" और दक्षिणी भाग में 38'6 "X5 'और पश्चिमी भाग 👘 क्षेत्र में पक्की इमारत (भूतल) के रास्ते से अनधिकृत निर्माण मौजूद है। । <u>Unauthorised constru</u> There is building exists on the site which has been constructed without sanction from

competent authority. A notice vide this office letter No.CBD/L.R./Sy.No.322/1088/81 23.02.2016 was issued to the occupiers. There exists unauthorised construction by w Pucca building (ground floor) in leased out area 28'0"X38'6" and on encroached land (p floor) 38'6"X5' in southern portion and 33'X3' in western portion.

(iv) अतिक्रमणः सर्वे नं .239 के नाला (खल) भाग के दक्षिणी भाग में 38% "X5 'को मापने वाला अतिक्रमण पक्के आकार में पट्टे वाले क्षेत्र के पश्चिमी भाग में नाले और 33'X3 को अवरुद्ध करता है। बिल्डिंग, जा साइट प्लान में दिखाया गया है। पीपीई अधिनियम 1971 के तहत एक अलग कार्रवाई अतिक्रमण हटाने क शुरू की गई है। <u>Encroachment</u>: There is an encroachment measuring 38'6"X5' in sou

portion on the part of Nala (Khal) bearing Survey No.239 which blocks the Nallah and 3 in western portion of the leased out area in shape of pucca building, as shown in the Site A separate action under PPE Act 1971 is initiated for removal of encroachment.

(v) साइट में कोई खरीद-बिक्री शामिल नहीं है, There is no sale-purchase involved in the site,

(vi) साइट दानापुर केंट और के सिविल क्षेत्र में स्थित है The site is located in civil area of Dan

Cantt and

(vii) साइट की हाल की तस्वीरों को लिया गया है और रिकॉर्ड में रखा गया है। Recent photographs o site are taken and kept in record.

66 | Page

(Lalfinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 26.04.2019

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment 2019 26/4 Dated

2016 को श्री दिवाली पंडित और अन्य को अनाधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण को हटाने के लिए एक किया गया था, लेकिन आज तक वहीं मौजूद है। नोटिस के जवाब में, श्री दिवाली पंडित ने अतिक्रमण और बिवा था। बार खंडन किया है और प्रस्तुत किया है कि सर्वे प्लॉट नं .241-15 पर होल्डिंग को चार समान भागों में विवा था। GLR में, सम्पूर्ण सम्पत्ति सर्वे No.241-15 एक है। A notice dated 23.02.2016 was issued Pandit & others to remove unauthorised constructions and encroachment but the same faile. In response of the notice, Shri Diwali Pandit has denied the encroachment & constructions and submitted that the holding on Survey Plot No.241-15 was divided in In GLR, the whole property bearing Survey No.241-15 is one.

प्रभाग ते सामता है कि लीज आउट भूमि में लीज शर्तों के कई उल्लंघन शामिल हैं जैसा कि निरीक्षण रिपोर्ट कि है और इसलिए विषय लीज भूमि को निर्धारण के लिए भेजा जा सकता है। It may be noted that the faul involves multiple violation of lease conditions as mentioned above in the inspection there the subject lease land may be sent for determination.

भीत मामले के तथ्य के मद्देनजर, बोर्ड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या No.11013 / 2/2016 माभार उपरोक्त उक्त संपति के पट्टे के निर्धारण पर विचार कर सकता है, दिनांक 10.03 .2017 In view of the case stated above, the Board may consider the determination of lease of the above appendix of Covernment of India, Ministry of Defence policy vide letter No.11013/2/2016/D 10.03.2017.

त्वा गात पर ध्यान दे सकता है कि निर्धारण प्रस्ताव मामले में उच्च प्राधिकारी को भेजा जाएगा। The Board and renewal/determination proposal shall be forwarded to the higher authority in the matter.

गणार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

indocuments are put on the table for consideration and decision of the board.

ITTION: The Board has deliberated and resolved that the lease should be sent for determination as it involves multiple violation of lease terms and conditions such as change of purpose, sub-division of site, uauthorized construction and also encroachment of the adjoining land. Encroachment is made upon Nalah which is an important natural drainage by constructing upon part of the Nalah, the unauthorized construction has also contributed to Shrinkage and obstruction of flow of Nalah. Applicants also failed to submit legal heir certificate/succession documents etc. to establish occupancy rights.

(Lafrinpuii Hrahsel, IDES) Member Secretary Danapur Cantonment Dated 26.04, 2019

19

(Brig. A.K. Yadav) President Danapur Cantonment Dated 2019